राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–107 / 2024

नीरू खराडी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. उपनिदेशक, (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकोर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर सीएचसी, ऋषभदेव, उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.12.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपीलार्थी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दिन बिना पूर्व सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित पाये जाने का दोषी मानते हुए अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय, उदयपुर में उपस्थिति दिए जाने के निर्देश दिए गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.01.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुवाणा, उदयपुर में नर्सिंग स्टॉफ की कमी को देखते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुवाणा, उदयपुर किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 03.01.2024

(अनुलग्नक–3) के द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी समस्त पूर्व परिपत्रों के अधिक्रमण में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 20.01.2023 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) अथवा अन्य माध्यम से इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जाने की उक्त परिपत्रानुसार पालना सुनिश्चित करावें। अतः उक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी का दिनांक 28.12.2023 द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में तथा आदेश दिनांक 01.01.2024 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुवाणा, उदयपुर में पदस्थापन किया गया है, जो कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 03.01.2024 का उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.10.2010 द्वारा चिकित्सा विभाग में पदस्थापित कार्मिकों का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (स्थानान्तरण गतिविधियां) नियम 2011 के नियम 8 (ii) के तहत् जिला संस्थापन समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में/पदस्थापन किया जा सकता है, जिसकी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पालना नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14964/2019 किरण कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2020 एवं 3299/2022 अंजू बाला बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 312/2021 कृष्णा देवी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2021 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.12.2023 एवं 01.01.2024 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऋषभदेव, उदयपुर में ही कार्य करने दिया जावे तथा वेतन भत्तों का भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा डिलिवरी वाली महिला को एक भी जीरो डोज नहीं दिये जाने तथा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दिन बिना पूर्व सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित पाये जाने पर दोषी मानते हुए अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में उपस्थिति

देने के निर्देश दिए गए थे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.01.2024 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुवाणा, उदयपुर में नर्सिंग स्टॉफ की कमी को देखते हुए अपीलार्थी सहित दो कार्मिक जो पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में थे, का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुवाणा, उदयपुर में किया गया है। राज्य सरकार के आदेशों में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

5. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य